कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- दिनांक- 268

पत्र संख्या-वि0व0-संग्रह/11-12/ 1112022 /वाणिज्य कर

कार्यालय-

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ //दिनांक / 27/30 मई ,2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 03-06-2011 को होने वाली लोक लेखा समिति की बैठक की पूर्व समीक्षा के समय यह संज्ञान में आया कि बकाया वसूली के बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं, जिनका कर निर्धारण आदेश की तामीली के 45 दिन पूर्ण होने के बाद भी काफी विलम्ब से वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं । बिना किसी कारण के वसूली प्रमाण पत्रों को समय से जारी न किया जाना संबंधित कर्मचारी की दुराशयता एवं करनिर्धारण अधिकारी के शिथिल नियंत्रण का परिचायक है ।

कृपया अपने जोन के समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं समस्त करनिर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट करें कि इस प्रकार के उपरोक्त मामलो में अपने स्तर से जॉच करते हुए यह सुनिश्चित कर लें कि वसूली प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में जारी हो जायें । उन्हें यह भी स्पष्ट कर दें कि यदि किसी मामले में आदेश की तमीली के 45 दिन के बाद वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करना पाया गया तो सम्बन्धित खातापालक के साथ -साथ करनिर्धारण अधिकारी के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी । अकारण एवं असाधारण विलम्ब की स्थिति पर गम्भीर रुख अपनाते हुए न केवल प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने अपितु सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी की सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध करने की विवशता होगी ।

25/5/11

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।